संख्या-2/2017/26/44-1-2017-07/2017

प्रेषक,

हरिराज किशोर,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन 1

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपक्रम/निगमों के प्रशासनिक विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव 1

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनउ दिनांक 15 मार्च, 2017

विषय:-सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अवर अभियन्ताओं को रूपये 400/- प्रतिमाह विशेष भत्ता दिये जाने के संबंध में 1

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उपक्रमो/निगमों के अवर अभियन्ताओ को रूपये 400/- प्रतिमाह विशेष भत्ता दिनांक-26 दिसम्बर 2016 से इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है कि इससे आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को सम्बन्धित उपक्रम/निगम द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा 1

2- उक्त निर्णय को लागू करने के फलरूवरूप यदि कोई असंगति अथवा व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो तो उनका निराकरण मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेश प्राप्त कर किया जायेगा 1

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- वे0आ0-2-216/दस/2017, दिनांक 01 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है1

भवदीय,

हरिराज किशोर
अपर मुख्य सचिव1

संख्या-2/2017/26/44-1-2017-07/2017,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा परीक्षा द्वितीय उ0 प्र0 लखनउ 1

2- वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2

3- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों क्रे प्रबन्ध निदेशक 1

4- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम व्यूरो, उ0 प्र0 लखनउ 1

5- गार्ड फाइल 1

आज्ञा से,

मुरारी लाल
उप सचिव 1